न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 24 / 24 दायरा दिनांक 12.12.2024

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

अरबाज पुत्र हैदरअली जाति मुसलमान निवासी गोरधनपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

— अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जर्ये नायव तहसीलदार नाहरगढ़ तह0 किशनगंज जिला बारां (राजस्थान)

— रेस्पोडेण्ट

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.</u>

<u>निर्णय</u> **दिनांक :— 18.02.2025**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत नायब तहसीलदार नाहरगढ़ के प्रकरण संख्या 142 / 24 निर्णय दिनांक 19.02.2024 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गोरधनपुरा की आराजी खसरा नम्बर 484, 507 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 400 / — रूपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए है। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब व साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया है तथा मनमाना निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय निरस्त फरमावें ।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई ।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलान्ट को बेदखल करने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलान्ट के वकील का यह भी तर्क है कि बिना कोई सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुए बेदखली के आदेश से दंडित किया गया है। अतः बेदखली के आदेश निरस्त करने योग्य है ।

हमने अपीलान्ट के विद्वान वकील के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner